

**झारखण्ड सरकार**  
**नगर विकास एवं आवास विभाग**  
**संकल्प**

**विषय:-**धनबाद नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत Annuity Model के आधार पर LED पथ प्रकाश व्यवस्था के अधिष्ठापन हेतु कुल 13,13,72,410/-रु० की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

3718  
12/06/18 से 74वें संविधान संशोधन की 12वीं अनुसूची के आलोक में विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से नागरिकों को मौलिक सुविधाएँ उपलब्ध कराना नगर विकास एवं आवास विभाग का संवैधानिक दायित्व है। इस क्रम में शहरी क्षेत्र की सड़कों पर सुरक्षित आवागमन एवं अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से पथ-प्रकाश की व्यवस्था एक महत्वपूर्ण कार्य है।

पुनः नित्य विकास की ओर अग्रसर झारखण्ड राज्य में ऊर्जा की निरंतर बढ़ती हुई आवश्यकताओं एवं बिजली की कमी को देखते हुए ऊर्जा दक्ष तकनीक एवं उपकरणों का उपयोग समयानुकूल है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के एक अनुमान के अनुसार पारम्परिक स्ट्रीट लाइटिंग को एलईडी में परिवर्तित कर लगभग 50% ऊर्जा की बचत की जा सकती है।

2. उक्त क्रम में नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या-4378 दि०-09.08.2016 के द्वारा मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त कर झारखण्ड राज्य के विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में Annuity Model के आधार पर LED पथ प्रकाश व्यवस्था के अधिष्ठापन हेतु ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्यरत संयुक्त क्षेत्रीय उपक्रम M/s Energy Efficiency Services Ltd. (EESL) की मनोनयन के आधार पर सेवाएँ प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3. M/s Energy Efficiency Services Ltd. द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार धनबाद नगर निगम के कुल 55 वार्डों में कुल 7409 स्ट्रीट लाइट लगे हैं जिनमें 1097 LED स्ट्रीट लाइट है तथा 6312 पारंपरिक स्ट्रीट लाइट है। निगम क्षेत्र में कुल 8600 खाली पोल है। मेसर्स EESL द्वारा उक्त स्वीकृति के क्रम में धनबाद नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत पारंपरिक स्ट्रीट लाइट के स्थान पर एवं खाली पोल पर LED स्ट्रीट लाइट के अधिष्ठापन तथा CCMS (Central Control & Monitoring System) के लिए Earthing के प्रावधान हेतु Annuity Model के आधार पर कुल 13,13,72,410/-रुपये का योजना प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

4. झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के पत्रांक-290 (S&D), दिनांक-30.05.17 द्वारा अग्रसारित उक्त योजना हेतु मेसर्स EESL द्वारा तैयार प्राक्कलन पर अभियंता प्रमुख, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा निम्नवत् तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

(A) Phase I: Replacement of Conventional light with LED Lights (6312 Nos.)					
S.No.	Name of Material	Quantity	Supply Rate	Manpower cost	Amount (in Rs.)
1	LED light- 190 W	175	Rs. 90 /Watt	Rs. 10 /Watt	3325000
2	LED light- 120 W	2602	Rs. 90 /Watt	Rs. 10 /Watt	31224000
3	LED light- 75 W	89	Rs. 90 /Watt	Rs. 10 /Watt	667500
4	LED light- 40 W	3446	Rs. 90 /Watt	Rs. 10 /Watt	13784000
5	Total Cost of LED lights				49000500
6	Infrastructure development charge		@10% of S.No. 4		4900050
7	Project Management consultancy		@3% of S. No. 4 & 5		1617016.5
	<b>Total-</b>		<b>49965809.85</b>	<b>5551756.65</b>	<b>55517566.5</b>
(B) Phase II: Installation of LED Lights on Vacant Electric poles (8600 Nos.)					
S.No.	Name of Material	Quantity	Supply Rate	Manpower cost	Amount (in Rs.)
1	LED light- 125 W	1720	Rs. 90 /Watt	Rs. 10 /Watt	21500000
2	LED light- 75 W	4300	Rs. 90 /Watt	Rs. 10 /Watt	32250000
3	LED light- 40 W	2580	Rs. 90 /Watt	Rs. 10 /Watt	10320000
4	Total Cost of LED lights				64070000

5	Infrastructure development charge		@10% of S.No. 4		6407000
6	Project Management consultancy		@3% of S. No. 4 & 5		2114310
Total -			65332179	7259131	72591310
<b>(C) Infrastructure Development Component for Phase I</b>					
S.No.	Name of Material	Quantity	Supply Rate	Manpower cost	Amount (in Rs.)
1	Supply & Installation of Pipe Earthing (40 dia 2.5m ling GI pipe for CCMS earthing)	180	2000	1000	540000
Total-			360000	180000	540000
<b>(D) Infrastructure Development Component for Phase II</b>					
S.No.	Name of Material	Quantity	Supply Rate	Manpower cost	Amount (in Rs.)
1	Supply & Installation of Pipe Earthing (40 dia 2.5m ling GI pipe for CCMS earthing)	246	2000	1000	738000
Total-			492000	246000	738000
<b>(E) Supervision Cost (@15% of Manpower Cost)</b>				Rs.	1985533
<b>Total Project Cost (A+B+C+D+E)</b>				Rs.	131372410

3718  
12/06/17

5. उक्त योजना के फेज-I के अन्तर्गत धनबाद शहर में वर्तमान में लगे हुए 6312 पारंपरिक लाईट को बदलकर LED Light लगाने पर कुल रु० 5,55,17,566/- की लागत आयेगी, जिससे प्रत्येक वर्ष 2.42 MU (Million Unit) ऊर्जा बचत होगी एवं मौजूदा बिजली की दर से रु० 1,08,39,024/- की बिजली बिल की बचत होगी। साथ ही, 6312 लाईट के रखरखाव पर खर्च होनेवाले अनुमानित रु० 125 लाख की बचत होगी। इस प्रकार LED Light के अधिष्ठापन से कुल रु० 2,33,39,024/- की बचत होगी। इसके बदले धनबाद नगर निगम द्वारा M/s Energy Efficiency Services Ltd. को प्रतिवर्ष उक्त बचत राशि में से रु० 1,52,61,254/- का भुगतान किया जायेगा एवं M/s Energy Efficiency Services Ltd. को भुगतान के उपरांत निगम को प्रतिवर्ष कुल रु० 80,77,770/- की बचत होगी।

6. पुनः उक्त योजना के फेज-II के अन्तर्गत निगम क्षेत्र में अवस्थित खाली पोल पर पारंपरिक लाईट के स्थान पर LED Light के लगाये जाने पर उक्त की भांति बिजली एवं निधि की बचत होगी एवं उक्त क्षेत्र के निवासियों को रात्रि पथ प्रकाश की व्यवस्था उपलब्ध करायी जा सकेगी, जिसके फलस्वरूप सामाजिक सुरक्षा बेहतर होगी तथा व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकेगा। इसके अतिरिक्त महिलाओं को भी सुरक्षा प्रदान करने में सहायता प्राप्त हो सकेगी। निगम क्षेत्र में अवस्थित 8600 खाली पोल पर M/s Energy Efficiency Services Ltd. के द्वारा LED Light के अधिष्ठापन पर कुल 7,25,91,310/- रु० की लागत आयेगी एवं इसके लिए निगम द्वारा M/s Energy Efficiency Services Ltd. को प्रतिवर्ष 1,99,54,664/-रुपये का भुगतान किया जायेगा।

7. उक्त योजना के फेज-I एवं फेज-II अन्तर्गत कुल 14912(6312+8600) LED Light हेतु धनबाद नगर निगम द्वारा प्रतिवर्ष क्रमशः 1,52,61,254/-रुपये एवं 1,99,54,664/-रुपये यानि कुल 3,52,15,918/-रु० का भुगतान M/s Energy Efficiency Services Ltd. को अगले 07 वर्षों तक किया जायेगा। इस प्रकार प्रतिवर्ष प्रत्येक LED Light के लिए M/s Energy Efficiency Services Ltd. को 2,362/-रु० का भुगतान किया जायेगा।

8. उक्त योजना के फेज-I एवं फेज-II हेतु CCMS (Central Control & Monitoring System) के लिए Earthing के लिए लागत क्रमशः 5,40,000/-रु० एवं 7,38,000/-रु० यानि कुल 12,78,000/-रु० तथा योजना का पर्यवेक्षण लागत 19,85,533/- रु० आयेगा, जिसका भुगतान नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड द्वारा M/s Energy Efficiency Services Ltd. को धनबाद नगर निगम के माध्यम से Upfront Payment Basis के आधार पर किये गए वास्तविक व्यय को दृष्टिगत रखते हुए किया जायेगा।

9. धनबाद नगर निगम के पत्रांक-279, दिनांक-01.04.17 द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त योजना प्रस्ताव पर विचार हेतु दिनांक-26.10.16 को निगम बोर्ड एवं दिनांक-26.11.16 को Stakeholders की बैठक आयोजित की गयी है।

10. M/s Energy Efficiency Services Ltd. द्वारा झारखण्ड के शहरी स्थानीय निकायों में Annuity Model के आधार पर LED स्ट्रीट लाईट के अधिष्ठापन हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड के द्वारा M/s Energy Efficiency Services Ltd. के साथ MOU किया गया है। धनबाद शहर हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव पर धनबाद नगर निगम के द्वारा M/s Energy Efficiency Services Ltd. के साथ MOU किया जायेगा, जिसके प्रारूप पर मंत्रिपरिषद झारखण्ड के स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया गया।

11. धनबाद शहर हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव के अन्तर्गत फेज-I एवं फेज-II के साथ-साथ या आगे-पीछे कार्यान्वयन के संबंध में धनबाद नगर निगम एवं M/s Energy Efficiency Services Ltd. के द्वारा आपसी विचार विमर्श के आधार पर परिस्थितिगत आवश्यकता अनुरूप निर्णय लिया जायेगा।

12. उक्त योजना हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा वहनीय व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं उत्तरोत्तर वर्षों में वृहत शहरी परिवहन योजनाएँ, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज तथा नगरीय आधारभूत संरचना मद के अन्तर्गत निम्नांकित बजट शीर्ष से किये जाने का प्रस्ताव है:-

मुख्यशीर्ष-2217-शहरी विकास-उप मुख्यशीर्ष-80-सामान्य-लघुशीर्ष-796 (191/789) के अन्तर्गत उपशीर्ष-79- वृहत शहरी परिवहन योजनाएँ, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज तथा नगरीय आधारभूत संरचना-विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान-79-सहायता अनुदान के अन्तर्गत उपबंधित तीनों प्रक्षेत्र (TSP/OSP/SCSP) से की जायेगी।

13. M/s Energy Efficiency Services Ltd. द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या-4378 दिनांक-09.08.2016 के प्रावधानों तथा नगर विकास एवं आवास विभाग एवं धनबाद नगर निगम के साथ हस्ताक्षरित एकरारनामा के अनुरूप सेवाएँ प्रदान की जायेगी।

LED Light के अधिष्ठापन के पश्चात् अपेक्षित सेवा उपलब्ध नहीं कराने पर 2% दंड शुल्क का प्रावधान किया गया है, जो AMC से वसूलनीय होगी। LED Street Light से संबंधित समस्त शिकायतों का निपटारा केन्द्रीयकृत व्यवस्था अन्तर्गत 48 घंटे के अंदर सर्वश्री EESL के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

14. नगर निगम, धनबाद के द्वारा उपर्युक्त व्यवस्था के आलोक में LED Light अधिष्ठापित खम्भों पर विज्ञापन, आदि के माध्यम से नियमानुसार राजस्व संसाधन जुटाए जाएंगे, जिनका सर्वप्रथम उपयोग इस व्यवस्था के अन्तर्गत किए जाने वाले भुगतान हेतु किया जाएगा।

15. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राज्य के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अरुण कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-5/न0वि0/विविध (EESL)-14/2017..... 3718 राँची, दिनांक-12/06/17  
प्रतिलिपि:-अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची/नोडल पदाधिकारी, ई-गजटीय, नगर विकास एवं आवास विभाग को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक-5/न0वि0/विविध (EESL)-14/2017..... 3718 राँची, दिनांक-12/06/17  
सरकार के प्रधान सचिव।

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/योजना-सह-वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग/झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त एवं उपायुक्त/नगर आयुक्त, धनबाद नगर निगम/महापौर, धनबाद नगर निगम/परियोजना निदेशक (प्रशासन), जुडको लिमिटेड/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/उप सचिव, बजट शाखा/श्री कुणाल, विशेषज्ञ को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/ई-प्राक्यूरमेन्ट सेल, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।